

22.1.2025

पञ्चवली पेश। उपपक्ष वकील एच.
रुपाणी संख्या 6, 7, 8, 11, 12 की ओर
से आदिनोक तबु जवाब पेश नही
करने पर जवाब लेद किया जाता है
रुपाणी सं. 10 की ओर कोर्ट डिस्पिट
नही। प्राथमिक अधिवक्ता की बहस
सुनी गई। प्राथमिक अधिवक्ता द्वारा
बहस में उपरना पत्र के तथ्यों को
पेहराते हुए कथन दिया है विवेक
आराजी खसरा संख्या 1843/1048 संख्या
0.24 हेक्टर प्राथमिक के पिता स्व. नोजराम
की भूमि में $\frac{1}{3}$ हिस्सा पुरखेनी, जन्म सि ह
दुह हकुक का आया हुआ है जिसपर
फरजा फारत प्रखेनी रूप से प्राथमिक का
चला आ रहा है अतः मूल वल
के विस्तारण तक राजस्व बंदी व मोने
की पधारिपति बनाये रखने हेतु प्राथमिक
के विरुद्ध अस्थायी विवेधाना जारी करमावे।

हमने पञ्चवली का अवलोकन किया
व बहस तथ्यों पर मनन करने पर



सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)



पापा वि घोजा धमाला की विवाहित आराजी
 पसरा सोमा 1843/1048 रकबा 0.24 हेक्टेयर
 राजस्व रेकर्ड में अर्थात् लेखा नंबर 8 के
 नाम दर्ज है उक्त आराजी में प्राथमिक
 खातेदार ~~नहीं है~~ प्राथमिक रेकर्डेड
 खातेदार नहीं होने से रेकर्डेड
 खातेदार अर्थात् लेखा नंबर 8 के अस्तित्व
 अस्पष्ट निश्चय जारी किया जाता
 न्योचोचित नस्ते प्रतीत नहीं होता है
 ऐसी स्थिति में प्राथमिक का प्रस्ताव
 पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली
 फेसबल कुमार होकर नष्ट हो
 कम है । निर्णय सरे दजलस
 सुनाया गया । (पुनी)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)